

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
(सतर्कता अनुभाग)

संदर्भ : 14/5/2020-जीएसी/449-452

दिनांक : 05.04.2021

विषय : आरआरकेट कॉलोनी में अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों के लिए
कोविड-19 टीकाकरण अभियान - के संबंध में ।

इस अनुभाग के दिनांक 19.03.2021 के समसंख्यक परिपत्रों 392 एवं दिनांक 26.03.2021 संख्या 413-417 का संदर्भ आमंत्रित है, जिसके द्वारा इस केन्द्र ने उसके अं.स्वा.सेवा योजना के पात्र लाभार्थियों को मे.चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (CHRC) एवं मे.अरिहंत अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इंदौर में क्रेडिट के आधार पर तथा उनकी पसंद और सुविधा के आधार पर (सरकारी और निजी दोनों)कोविड-19 टीकाकरण की सुविधा रुपये 250/- प्रति खुराक पर उपलब्ध करवाई थी ।

2. उपरोक्त सुविधाओं में विस्तार करते हुए, इस केन्द्र द्वारा मेसर्स चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से आरआरकेट परिसर में सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु के आरआरकेट अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों की पात्र श्रेणियों को कोविड-19 के टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है । इस टीकाकरण के खर्च का वहन विभाग द्वारा किया जाएगा ।

3. अतः इस केंद्र के अं.स्वा.सेवा योजना के पात्र श्रेणियों के सभी लाभार्थी आरआरकेट कालोनी में मंगलवार दिनांक 06.04.2021 से मे.चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर के माध्यम से शुरू किए जा रहे टीकाकरण अभियान का लाभ लें । टीकाकरण का स्थान आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र के निकट फिजियोथेरेपी सेंटर, आरआरकेट, इंदौर रहेगा । कृपया यह नोट करें कि फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रवेश की व्यवस्था उसके मुख्य द्वार से ना होकर एचपी गैस एजेंसी के पास वाले गेट से रखी गयी है । टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम की समय सारणी संलग्नक-1 में दी गई है और लाभार्थियों को उन्हें आवंटित समय स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण की अनुमति दी जाएगी ।

4. सभी सीएचएसएस लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरकेट में टीकाकरण केंद्र में आने के पूर्व COWIN वेबसाइट www.cowin.gov.in या अरोग्यसेतु ऐप पर स्वयं को पंजीकृत करें । लाभार्थी कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त वेबसाइट/ऐप पर स्वयं को टीकाकरण के लिए पंजीकृत करते समय उन्हें किसी भी अस्पताल/केंद्र/क्लिनिक में स्लॉट (तारीख और समय) बुक नहीं करना चाहिए । टीकाकरण केंद्र में आने के समय लाभार्थियों को अपने साथ अपना (i) आधार कार्ड, (ii) अं.स्वा.सेवा योजना पंजीकरण कार्ड और (iii) उपरोक्त वेबसाइट/ऐप पर टीकाकरण के लिए उनके पंजीकृत होने का प्रमाण लाना चाहिए जिसे टीकाकरण केंद्र के काउंटर पर सत्यापित किया जाएगा और तदनुसार संबंधित लाभार्थी को अनुलग्नक में दर्शाए गए आवंटित समय स्लॉट के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन नम्बर दिए जाएंगे ।

5. अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों के लिए टीकाकरण के सामान्य अनुदेश/दिशानिर्देश भी इस परिपत्र के साथ संलग्नक-2 में दिए गए हैं । सभी अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे टीकाकरण से


पहले/दौरान/बाद में इन अनुदेशों/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें । उन्हें यह भी ज्ञात रहे कि लाभार्थियों का टीकाकरण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा । लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा अधिकारियों से तब तक संपर्क न करें जब तक कि उन्हें टीकाकरण के पूर्व और पश्चात् किसी तरह की जटिलताओं के कारण चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता ना हो ।

6. सभी अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थी कृपया ध्यान दें कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए परमार्थ के रूप में किया जा रहा है । अतः टीकाकरण अभियान के तहत होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा । तथापि, टीकाकरण अभियान के दौरान किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति से निपटने के लिए आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम उपलब्ध रहेगी ।

7. सेवानिवृत्त अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थी आरआरकेट कोलानी में टीकाकरण अभियान के दौरान संलग्न समय सारणी के तहत किसी भी तिथि पर टीकाकरण के लिए आ सकते हैं । तथापि, असुविधा और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से बचने के लिए उन्हें टीकाकरण के दिन सुबह 11.00 से 12.30 बजे के बीच टेलीफोन नंबर 7044 पर संपर्क व्यक्ति से टोकन नंबर प्राप्त कर अपरान्ह 02.30 के पश्चात् संपर्क व्यक्ति द्वारा सूचित किए गए समय पर ही टीकाकरण केन्द्र जाने की सलाह दी जाती है ।

8. टीकाकरण की अवधि के दौरान फिजियोथेरेपी सेंटर बंद रहेगा।

9. इसे निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एस.एस.गॉडान)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल आल के माध्यम से सभी कर्मचारी ।

सूचनार्थ प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट ।
2. डॉ.अनिल रावत, अध्यक्ष, एसीआरएमसी, आरआरकेट ।
3. उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट ।

आरआरकेट कॉलोनी में टीकाकरण हेतु समय सारणी इस प्रकार है :

दिनांक	दिन	रिपोर्टिंग का समय	लाभार्थी का सीसी नं. / सीएचएसएस नं.	लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	
06.04.2021 (मंगलवार)	पहला	11.00 A.M. to 1.00 P.M.	2 to 263	200	
		लंच का समय			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	268 to 505	200	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	508 to 610	99	
07.04.2021 (बुधवार)	दूसरा	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	611 to 750	152	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	751 to 867	151	
		लंच का समय			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	869 to 1007	151	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	1008 to 1093	103	
08.04.2021 (गुरुवार)	तीसरा	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	1095 to 1246	150	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	1248 to 1375	150	
		लंच का समय			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	1376 to 1568	150	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	1569 to 1747	100	
09.04.2021 (शुक्रवार)	चौथा	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	1750 to 1953	151	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	1955 to 2189	150	
		लंच का समय			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	2192 to 2401 and DPS	139	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	AECS, BARC, JRF/SRF and CISF	76	
10.04.2021 (शनिवार)	पांचवा	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	शेष सभी लाभार्थी		
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.			
		लंच का समय			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.			
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.			

आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र के फिजियोथेरेपी केन्द्र पर टीकाकरण अभियान हेतु अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों के लिए अनुदेश/दिशानिर्देश

- 1) यह टीकाकरण अभियान केवल टीकाकरण का पहला डोज लगवाने वाले लाभार्थियों के लिए है ।
- 2) अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों को कोविड-19 संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, सेनेटाइजेशन करना और उचित तरिके से मास्क पहनना इत्यादि ।
- 3) जिन लाभार्थी को टीका लगाया जाना है, केवल उन्हीं को फिजियोथेरेपी केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा । यदि लाभार्थी को किसी की सहायता की आवश्यकता है तब ऐसी स्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति को उनके साथ जाने की अनुमति होगी ।
- 4) टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को किसी भी अनजाने लक्षणों की निगरानी हेतु निगरानी (observation) क्षेत्र में 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है । निगरानी की समयावधि पूर्ण होने के पर उन्हें टीकाकरण करने वाले कर्मचारी के परामर्श अनुसार तुरंत टीकाकरण केंद्र से चले जाना चाहिए ।
- 5) अं.स्वा.सेवा योजना लाभार्थियों को सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त, उल्टी इत्यादि जैसी कोई भी बीमारी होने पर टीकाकरण हेतु नहीं आना चाहिए तथा आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से सलाह लेने के पश्चात् ही टीका लगवाना चाहिए ।
- 6) कोविड पॉजिटिव मरीज और उनके प्राथमिक संपर्क में रहे व्यक्तियों को उनके क्वारंटाईन पिरियड की अवधि के पूर्ण होने के 1 महीने बाद तक टीका नहीं लगवाना चाहिए ।
- 7) सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे पीने का पानी स्वयं अपने साथ लाएँ और टीकाकरण के लिए खाली पेट ना आएँ ।
- 8) टीकाकरण के पश्चात् कुछ सामान्य लक्षण जैसे बुखार, बदन दर्द, कँपकपी, सिरदर्द, जोड़ों का दर्द, टीके के स्थान पर दर्द इत्यादि प्रकट हो सकते हैं जिन्हें पर्याप्त विश्राम, भरपूर पानी का सेवन तथा केवल पेरासिटामोल की गोली के सेवन से नियंत्रित किया जा सकता है । इस प्रकार लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दर्दनिवारक दवाओं का सेवन ना करें ।
- 9) जिन लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की दवा-एलर्जी या एलर्जी है, उन्हें टीका लगवाने से पहले आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना चाहिए तथा उनके परामर्श के बाद ही टीका लगवाना चाहिए ।
- 10) लाभार्थी जो किसी भी प्रतिरक्षाविज्ञानी (Immunosuppressant) और किसी भी कैंसर विरोधी चिकित्सा (Anti Cancer Therapy) पर हैं, उन्हें टीकाकरण हेतु स्वयं को पंजीकृत करने से पहले आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए ।
- 11) कोविड-19 के समस्त प्रोटोकॉल जैसे उचित तरीके से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी तथा सेनीटाइजेशन इत्यादि का टीकाकरण के दोनो डोज पूरे होने पर भी भलीभाँति पालन करना चाहिए ।
- 12) सभी से अनुरोध है कि वे उक्त दिशानिर्देशों का पालन करें और इस टीकाकरण अभियान को संरक्षित एवं सफल बनाएं ।

Government of India
Department of Atomic Energy
RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY
(Vigilance Section)

Ref. No. 14/5/2020-GAC/ 449-452

Date : 05.04.2021

**Sub : COVID-19 vaccination drive for RRCAT CHSS
beneficiaries at RRCAT Colony – regarding.**

Reference is invited to this Section's Circular of even No. 392 dated 19.03.2021 and 413-417 dated 26.03.2021 extending facility of COVID-19 vaccination to the eligible categories of CHSS beneficiaries of this Centre through M/s. Choithram Hospital & Research Centre (CHRC), Indore and Arihant Hospital & Research Centre (AHRC), Indore on credit basis and permitting beneficiaries to get themselves vaccinated from the Centres/Hospitals/Clinics of their choice and convenience (both Government and private) @ Rs. 250/- per dose.

2. In addition to the above facilities, arrangements have also been made for vaccination of eligible categories of RRCAT CHSS beneficiaries above the age of 45 years at RRCAT Colony in collaboration with M/s. Choithram Hospital & Research Centre (CHRC), Indore on credit basis as per the existing Government guidelines. The cost of vaccination will be borne by the Department.

3. All eligible categories of CHSS beneficiaries of this Centre may, therefore, avail the vaccination facilities being extended through CHRC, Indore at RRCAT Colony w.e.f. 06.04.2021 (Tuesday). **The venue of vaccination will be at Physiotherapy Centre, Near RRCAT Medical Centre, RRCAT, Indore. Please note that the entry to the Vaccination centre is arranged from the gate near HP Gas agency and not from the regular entry to Physiotherapy centre.** The schedule for vaccination drive is given in the Annexure-1 and beneficiaries will be allowed strictly as per the time slots allotted to them.


4. *All CHSS beneficiaries are advised to register themselves on COWIN website at www.cowin.gov.in or ArogyaSetu app. before visiting Vaccination Centre at RRCAT Colony. The beneficiaries may please note that while registering themselves on the above website/app they should not book a slot (date and time) in any hospital/centre/clinic for vaccination. While visiting the vaccination centre they must carry with them (i) Aadhar Card, (ii) CHSS Registration Cards, and (iii) proof having registered for the vaccination on the above Website/app. which will be verified at the Counter at Vaccination Centre and token no. will be issued to the beneficiary accordingly on first come first served basis as per the time slots allotted in the Annexure.*

5. General instructions/guidelines for vaccination for the CHSS beneficiaries are also enclosed herewith as Annexure-2. All the CHSS beneficiaries are requested to strictly follow these instructions/guidelines before/during/after vaccination. CHSS beneficiaries may note that vaccination will be done strictly as per the guidelines issued by Government from time to time. The beneficiaries are advised not to approach Medical Officers at RMC unless required on account of pre and post vaccination complications.

6. All CHSS beneficiaries may please note that the vaccination drive is undertaken as a welfare measure to contain the spread of COVID-19 infection. As such, RRCAT Administration will not be held responsible for any unpleasant/unexpected incidents arising on account of COVID-19 vaccination. However, a team of Medical Officers of RRCAT will be available during the vaccination campaign at RRCAT Medical Centre to attend any medical emergency.

::2::

7. The retired CHSS beneficiaries may come for vaccination on any date mentioned above during the vaccination drive in RRCAT Colony. However, in order to avoid inconvenience and long waiting time, the retired beneficiaries are advised to obtain the token number over telephone extn: **7044** between 11.00 AM to 12.30 PM on all scheduled days of vaccination and visit the Vaccination Centre after 02.30 PM on the day of vaccination as per the information given to them by the contact person.
8. The Physiotherapy Centre will remain closed on all the days of vaccination.
9. This is issued with the approval of Director, RRCAT.
10. Hindi version of this Circular will follow.



5-4-4

(S.S. Gondane)
Chief Administrative Officer

All employees through Mailall.

Copy for information to :

1. Office of Director, RRCAT.
2. Dr. Anil Rawat, Chairman, ACRMC, RRCAT.
3. DCA, RRCAT.

Annexure-1

The schedule for vaccination drive in RRCAT Colony is given as under:

Date	Day	Time for reporting	Beneficiaries with CC / CHSS Regn. No.	Approx. No.	
06.04.2021 (Tuesday)	One (01)	11.00 A.M. to 1.00 P.M.	2 to 263	200	
		Lunch Break			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	268 to 505	200	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	508 to 610	99	
07.04.2021 (Wednesday)	Two (02)	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	611 to 750	152	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	751 to 867	151	
		Lunch Break			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	869 to 1007	151	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	1008 to 1093	103	
08.04.2021 (Thursday)	Three (03)	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	1095 to 1246	150	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	1248 to 1375	150	
		Lunch Break			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	1376 to 1568	150	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	1569 to 1747	100	
09.04.2021 (Friday)	Four (04)	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	1750 to 1953	151	
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.	1955 to 2189	150	
		Lunch Break			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.	2192 to 2401 and DPS	139	
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.	AECS, BARC, JRF/SRF and CISF	76	
10.04.2021 (Saturday)	Five (05)	9.00 A.M. to 11.00 A.M.	All remaining beneficiaries		
		11.00 A.M. to 1.00 P.M.			
		Lunch Break			
		1.30 P.M. to 3.30 P.M.			
		3.30 P.M. to 5.00 P.M.			

**INSTRUCTIONS / GUIDELINES FOR CHSS BENEFICIARIES FOR VACCINATION AT
RMC PHYSIOTHERAPY CENTRE**

- 1) This vaccination drive is exclusively for the beneficiaries who are yet to receive their first dose of vaccination.
- 2) The Beneficiaries are advised to follow all COVID-19 related protocols viz. maintaining social distancing, sanitization and wearing of mask properly.
- 3) Only the beneficiary who is to be vaccinated shall be allowed to enter the physiotherapy centre. If the beneficiary needs assistance, one person will be allowed to accompany her/him.
- 4) After vaccination the beneficiaries are advised to wait for 30 minutes in the observation area for any inadvertent symptoms. After completing observation time, vaccinated beneficiary should immediately leave the vaccination centre on instructions from vaccinating staff present.
- 5) The CHSS Beneficiaries who have any acute illness like cold, cough, fever, body ache, headache, loose-motions, vomiting, etc. should not come for vaccination and consult Medical Officers at RMC, RRCAT regarding when to be vaccinated.
- 6) COVID positive patients and their Primary contacts are not to take the vaccine before 1 month after the completion of their quarantine period.
- 7) All the Beneficiaries are requested to bring their own drinking water and should not come empty stomach for vaccination.
- 8) Some common side effects viz. fever, body ache, shivering, headache, joint pain, pain at the injected spot can be expected after vaccination which can be managed with adequate rest, ample water intake and only Paracetamol Tablets. As such, beneficiaries are advised not to take pain killers.
- 9) The Beneficiaries who have any drug allergy or allergy of any kind should inform before getting the vaccine and will be vaccinated only after consultation with RMC Medical officer.
- 10) The Beneficiaries who are on any immunosuppressant and any anti-cancer therapy should contact RMC Medical officers before getting registered.
- 11) COVID-19 appropriate behaviour, namely wearing of mask, social distancing and sanitising should continue even after completing two doses of vaccination.
- 12) All are requested to cooperate by following the guidelines and make this vaccination drive successful and safe.
